New Yarn Export Policy

115. SHRI IQBAL SINGH: Will the Minister of TEXTILES be pleased to state:

(a) whether Government have formulated any new Yarn Export Policy for the year 1996;

(b) if so, the details thereof; and

(c) what is the significance of the new policy in the country and what is Government's reaction thereto?

THE MINISTER OF TEXTILES (SHRI G. VENKAT SWAMY): (a) to (c) Government have quantitative ceiling of 80 million Kgs for exports of cotton yarn during calendar year 1996, with the following exemptions:

(i) Export by 100% EOUs.

(ii) Exports by EP (CG) units to the extent of meeting their export obligation.

(iii) Exports against bilateral quotas.

(iv) Exports of cotton yarn of 41s counts and above.

(v) Exports of processed yarn.

(vi) Exports under Advance Licensing Scheme/based on imported cotton.

The export of hank yarn in count group 1-60s is not permitted to be exported, as before.

The new policy should serve to vindicate the large investments in modernisation and expansion of spindleage made by spinning mills in recent months and, simultaneously, help in increasing the liquidity in the cotton market. It is also expected to stimulate demand for cotton and, thereby, enhance the price being paid to the farmers for their produce. The rationalisation of provisions for cotton yarn exports under EP(CG) Scheme and the encouragement to exports of higher value added processed yarn are other significant features of the new policy.

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता

116. **श्री रहस बिहारी बारिक:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को 1 जनवरी, 1996 से महंगाई भत्ते की एक और किस्त देय हो गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में आदेश कब तक जारी कर दिए जाएंगे?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० वी० चन्द्रशेखरमूर्ति): (क) से (ग) चौथे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर, केनदरीय सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता प्रदान करने से सम्बंधित मौजूदा फार्मूले के अनुसार, महंगाई भत्ते की अतिरिक्त किस्तें औद्योगिक कामगारों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सामान्य) (1996=100) के 12 महीने के औसत में 608 के आधार सूचकांक, जिससे 1.1.86 से प्रभावी मौजूदा वेतनमान संबद्ध है, में हुई प्रतिशत वृद्धि के आधार पर प्रत्येक वर्ष पहली जनवरी और पहली जुलाई से देय होती है। पहली जनवरी से देय महंगाई भत्ते की किस्त सामान्यतया मार्च महीने के वेतन के साथ भुगतान योग्य होती है जिसका भुगतान अप्रैल में किया जाता है।

ब्याज दर के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन

117. **श्री अजीत जोगी:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ऋणों पर ब्याज की दर के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी किये गये दिशा-निर्देशों का सहकारी बैंकों द्वारा कड़ाई से पालन किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को पिछले दो वर्षों के दौरान इन दिशा-निर्देशों के उल्लंघन के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ग) यदि हां, तो ऐसे बैंकों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० देबी प्रसाद पाल): (क) जी, हां। ऋणों पर ब्याज दर के संबंध में